Vol 5 Issue 7 Jan 2016 ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

Golden Research Thoughts
International Recognition Multidisciplinary Research Journal

ISSN: 2231-5063 Impact Factor : 3.4052(UIF) Volume - 5 | Issue - 7 | Jan - 2016

मुरलीधर मिश्रा

निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति विद्यालयीन प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन

मुरलीधर मिश्रा[1] , सुजाता शर्मा[2]
[1]Associate Professor, Faculty of Education, Banasthali Vidyapith (Deemed University),Rajasthan.
[2]एम.एकृ छात्रा, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान

साराँश :–

निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति विद्यालयीन प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करने के लिए 'वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि' प्रयोग किया गया। न्यादर्श में राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में शुल्क निर्धारण अधिनियम 2013 के तहत राजकीय आदेश पर नामांकित सभी 80 निजी विद्यालयों में से 50 विद्यालयों (25 शहरी व 25 ग्रामीण) का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया। शुल्क निर्धारण के प्रति प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण को जानने हेतु स्वनिर्मित 'शुल्क निर्धारण के प्रति प्रत्यक्षीकरण अनुसूची' का प्रशासन किया। प्रदत्त विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकीय प्रविधियों के अन्तर्गत आवृत्ति वितरण, आवृत्ति विश्लेषण, प्रतिशत एवं मध्यमान विश्लेषण तथा आवश्यकतानुसार रेखाचित्रीय प्रदर्शन का उपयोग किया गया तथा निष्कर्षात्मक सांख्यिकी सांख्यिकीय प्रविधियों के अन्तर्गत मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं 'टी' परीक्षण का उपयोग किया गया। निष्कर्ष रूप में निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण अधिनियम के प्रति लगभग दो तिहाई प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक पाया गया। ग्रामीण एवं शहरी प्रबन्धकों का शुल्क निर्धारण योजना के प्रति सकारात्मक एवं उच्च स्तर का प्रत्यक्षीकरण है। अतः शुल्क निर्धारण योजना का क्रियान्वयन इस प्रकार होना चाहिए कि इसके अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के संचालन में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न हो।

प्रयुक्त शब्दावली –निजी विद्यालय, शुल्क निर्धारण, विद्यालयीन प्रबन्धक, प्रत्यक्षीकरण, वर्णनात्मक सर्वेक्षण

प्रस्तावना :–

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार को 2 जुलाई 2009 को स्वीकृत किया गया। राज्यसभा में इस बिल को 20 जुलाई 2009 में प्रस्तुत किया गया व 27 अगस्त को भारत सरकार के राजपत्र में यह प्रकाशित किया गया। 1 अप्रेल 2010 से इसे देश में लागू किया गया व सर्वशिक्षा अभियान को भी इसमें शामिल किया गया। सरकार के लिए इसे प्रभावशाली बनाने के लिए हर क्षेत्र में विद्यालयों को खोल पाना संभव नहीं था। परन्तु उसकी व्यवस्था करना व इन कार्यक्रमों के लिए समय निश्चित किया गया। वास्तव में शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। इस अधिकार 2009 अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन के तहत मुफ्त (निःशुल्क) और अनिवार्य शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित करने की ही वैधानिक कोशिश की गई है।

वर्तमान समय में सरकारी विद्यालयों के पर्याप्त न होने के कारण निजी विद्यालय शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। सरकार ने इन विद्यालयों में सभी को प्रवेश आसानी से मिल सके इसलिए निजी विद्यालयों में सभी को प्रवेश आसानी से मिल सके इसलिए

निजी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इस आरक्षण का कारण छात्रों को आर्थिक दृष्टि से वंचित होने पर भी शिक्षा को उपलब्ध कराने से है। वहीं राजस्थान सरकार ने निजी विद्यालयों के लिए शुल्क निर्धारण करने के लिए नवीन अधिनियम को पारित किया है। इसके अर्न्तगत एक कमेटी का गठन किया गया है। जिसका कार्य निजी विद्यालय को शुल्क निर्धारण के लिए बाध्य करना है। इस अधिनियम को 2013 में लागू किया गया। इससे छात्रों को शुल्क से संबधित होने वाले अतिरिक्त व्यय को कम करने व अतिरिक्त व्यय भार को हटाने को प्रयास किया गया है। इस अधिनियम के तहत 37500 राजस्थान राज्य के विद्यालयों को चिह्नित किया गया। जिनके शुल्क का निर्धारण करने की आवश्यकता है। यह अधिनियम की रूपरेखा व कार्य का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री शिव कुमार को 'शुल्क निर्धारण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति पूरे राज्य में निजी विद्यालयों के द्वारा केपीटेशन दान या अन्य किसी मद के रूप में ली जा रही अधिक शुल्क को संयमित करने के लिये कार्य कर रही है। जिससे सरकार द्वारा 'सभी को शिक्षा' 'समान शिक्षा' गुणवत्ता की शिक्षा को प्राप्त करने या प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

सम्बद्ध साहित्य के अध्ययन एवं विश्लेषण के दौरान शोधकर्ता द्वय ने पाया कि त्रिपाठी और कुमार (2006) के अनुसार समाज की सहभागिता का अभाव, अभिभावकों की निम्न आर्थिक स्थिति, शिक्षा में सामाजिक लैंगिक भेद एवं प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत संसाधनों के अभाव के कारण प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। थानवी (2010) के अनुसार सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए तीन विशेष धारायें लगाई गई हैं। एक तो जहाँ विद्यालयों का अभाव है, वहाँ तीन साल में हर राज्य को विद्यालय की स्थापना करनी ही होगी। दूसरा निजी विद्यालयों को भी 25 प्रतिशत विद्यार्थी कमजोर व वंचित वर्गों से लेने ही होंगे। उनका व्यय सरकार देगी। तीसरी धारा यह है कि सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा होगी वह निःशुल्क व अनिवार्य होगी। कोई भी बच्चा कदापि कमजोर न रहे यह शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी। कुमावत (2010) के अनुसार निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम की विशेष बात यह है कि गरीब परिवारों के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। विधि आयोग ने निजी विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत करने का सुझाव दिया था।

उपर्युक्त प्रमाणों से शोधकर्ता द्वय को शुल्क निर्धारण अधिनियम के प्रति प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण के प्रश्न को उद्भाषित किया तथा शोधकर्ता द्वय के समक्ष शुल्क निर्धारण अधिनियम से सम्बन्धित कतिपय प्रश्नों का उद्भव हुआ यथा– शुल्क निर्धारण व्यवस्था के प्रति निजी विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण कैसा है? निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयीन प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण कैसा है? इस योजना के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों को निजी विद्यालय प्रबन्धक कैसे प्रत्यक्षीकृत करते हैं? इन प्रश्नों से उत्प्रेरित होकर शोधकर्ता द्वय ने अपनी शोध समस्या निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति विद्यालय प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन किया है।

अध्ययन उद्देश्य

शोध उद्देश्य निर्धारण के महत्व को ध्यान में रखकर निम्न शोध उद्देश्यों का निर्माण किया है–

1.निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करना।
2.निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी विद्यालयों के प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करना।
3.निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण विद्यालयों के प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करना।
4.निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनायें

शोधकर्ता द्वय ने सम्बद्ध साहित्य के अध्ययन के आधार पर इस लघु शोध प्रबन्ध में अग्रांकित परिकल्पनाओं का निर्माण किया है–

1.निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक है।
2.निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी विद्यालयों के प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक है।
3.निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण विद्यालयों के प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक है।
4.निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक अन्तर है।

शोध विधि

प्रस्तुत लघु शोध में शोधकर्ता द्वय ने शोध समस्या को ध्यान में रखते हुए 'सर्वेक्षण विधि' का चयन किया है। चूंकि शोध का उद्देश्य "निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति विद्यालय प्रबन्धन के प्रत्यक्षीकरण" को जानना था। अतः इस शोध कार्य के लिए 'वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि' प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन में शुल्क निर्धारण अधिनियम 2013 के तहत राजकीय आदेश पर नामांकित राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित सभी निजी विद्यालयों के प्रबन्धक जनसंख्या हैं।

न्यादर्श एवं न्यादर्शन

प्रस्तुत शोध अध्ययन के न्यादर्श के रूप में अजमेर जिले में शुल्क निर्धारण अधिनियम 2013 के तहत राजकीय आदेश पर नामांकित निजी विद्यालयों में से यादृच्छिक रूप से किया गया है। न्यादर्श का चयन करने के लिए शोधकर्ता द्वय ने सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी

कार्यालय से नामांकित सभी 80 विद्यालयों की सूची प्राप्त की। पहले इस सूची को ग्रामीण एवं शहरी में वर्गीकृत किया गया। दोनों क्षेत्रों से बराबर विद्यालयों का चयन करने के क्रम में 25 शहरी व 25 ग्रामीण निजी विद्यालयों को यादृच्छिक रूप से चुना गया। इन चयनित विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय के मुख्य प्रबन्धक को चयनित माना गया।

प्रदतों के स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वय ने प्रदतों के संकलन के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में शुल्क निर्धारण अधिनियम 2013 के तहत राजकीय आदेश पर नामांकित राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के न्यादर्श में चयनित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों को लिया है।

शोध उपकरण

राजस्थान राज्य में निजी विद्यालय शुल्क अधिनियम 2013 कुछ समय पूर्व ही लागू हुआ है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण को जानने हेतु 'शुल्क निर्धारण के प्रति प्रत्यक्षीकरण अनुसूची' का निर्माण स्वयं शोधकर्ता द्वय ने किया है।

प्रदतों की प्रकृति

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रत्यक्षीकरण अनुसूची के द्वारा प्राप्त प्रदत्तों की प्रकृति मात्रात्मक प्रकार की रही है।

प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ

प्रस्तुत शोध में प्रदत्त विश्लेषण के लिए शोध अध्ययन के उद्देश्यानुरूप वर्णनात्मक सांख्यिकीय प्रविधियों के अन्तर्गत जहाँ आवृत्ति वितरण, आवृत्ति विश्लेषण, प्रतिशत एवं मध्यमान विश्लेषण तथा आवश्यकतानुसार रेखाचित्रीय प्रदर्शन का उपयोग किया गया है वहीं निष्कर्षात्मक सांख्यिकी सांख्यिकीय प्रविधियों के अन्तर्गत मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं 'टी' परीक्षण का उपयोग किया गया है।

प्रदत्तों विश्लेषण प्रक्रिया

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रदत्त विश्लेषण के लिए सर्वप्रथम प्रदत्तों का उद्देश्यानुसार सारणीयन किया गया। शोध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी/ग्रामीण प्रबन्धकों से प्रदत्तों की आवृति एवं प्रदत्त विश्लेषण किया गया। निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी/ग्रामीण प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, मानक त्रुटि व 'टी' मानों को परिकलित किया गया। इसके उपरान्त निर्मित परिकल्पनाओं का परीक्षण कर निष्कर्ष निकाले गये तथा प्रदत्तों की आवृत्ति को दर्शाने व तुलना करने के लिए आवश्यकतानुसार रेखाचित्र (वृताकार एवं स्तंभाकार) आदि का प्रयोग किया गया।

शुल्क निर्धारण के प्रति विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण

शुल्क निर्धारण के प्रति निजी विद्यालयीन प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करने के लिए शोध परिकल्पना 1 'निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक है' का निर्माण किया गया है। इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए स्वनिर्मित 'शुल्क निर्धारण के प्रति प्रबन्धक प्रत्यक्षीकरण अनुसूची' की सहायता से प्रदत्त संकलित किये हैं। संकलित प्रदत्तों के आधार पर प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण को दो स्तरों–सकारात्मक तथा नकारात्मक में वर्गीकृत किया है। इस प्रकार प्राप्त प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण अग्रांकित तालिका 1 में किया गया है।

तालिका 1
शुल्क निर्धारण के प्रति विद्यालयीन प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण

क्र.सं.	प्रत्यक्षीकरण स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सकारात्मक	31	62
2	नकारात्मक	19	38
योग		**50**	**100**

वृत चित्र 1
शुल्क निर्धारण के प्रति विद्यालयीन प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण

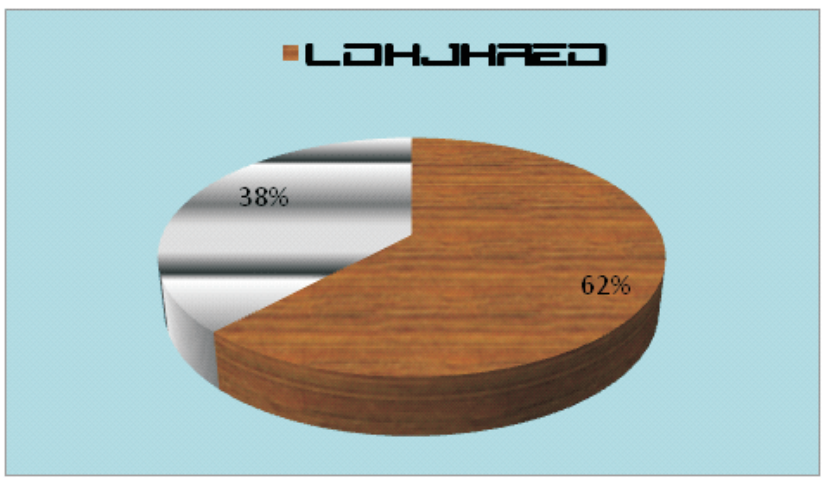

उपर्युक्त तालिका 1 एवं वृत चित्र 1 शुल्क निर्धारण के प्रति निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण से सम्बन्धित है। तालिका 1 का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि कुल प्रबन्धकों में से 62 प्रतिशत प्रबन्धकों ने निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति सकारात्मक स्तर का प्रत्यक्षीकरण दर्शाया है, जबकि शेष सभी 38 प्रतिशत प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के प्रति नकारात्मक प्रत्यक्षीकरण दर्शाया है। अर्थात् लगभग दो तिहाई शहरी प्रबन्धकों ने निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण व्यक्त किया है जो कि नकारात्मक प्रत्यक्षीकरण व्यक्त करने वाले प्रबन्धकों की तुलना में उच्च है। अतः परिकल्पना 1 'निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक है' स्वीकृत होती है। अर्थात् अजमेर जिले में स्थित निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों का शुल्क निर्धारण के प्रति सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण है।

शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण

निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी विद्यालय प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करने के लिए ***शोध परिकल्पना 2*** 'निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक है' का निर्माण किया गया है। इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए स्वनिर्मित शुल्क निर्धारण के प्रति प्रबन्धक प्रत्यक्षीकरण अनुसूची की सहायता से प्रदत्त संकलित किये हैं। संकलित प्रदत्तों के आधार पर प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण को दो स्तरों–सकारात्मक तथा नकारात्मक में वर्गीकृत किया है। इस प्रकार प्राप्त प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण अग्रांकित तालिका 2 में किया गया है।

तालिका 2
शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी विद्यालयीन शहरी प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण

क्र.सं.	प्रत्यक्षीकरण स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सकारात्मक	16	64
2	नकारात्मक	09	36
योग		**25**	**100**

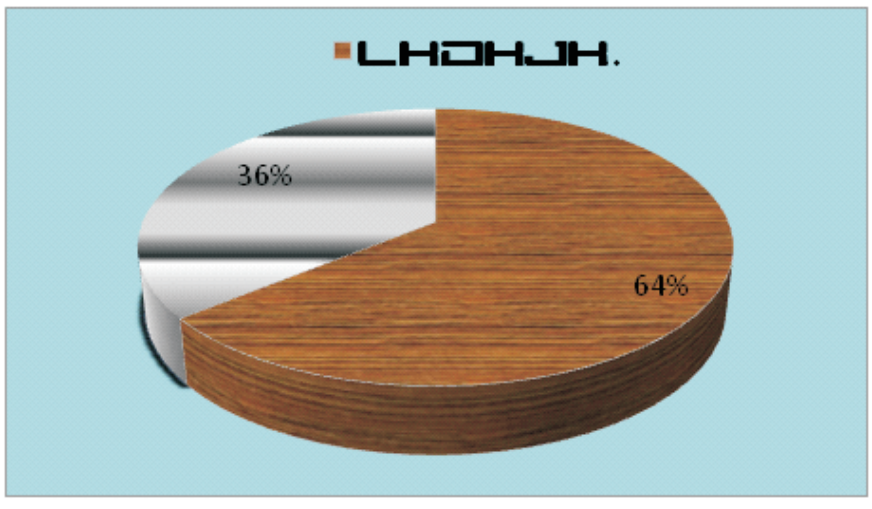

उपर्युक्त तालिका 2 एवं वृत चित्र 2 शुल्क निर्धारण के प्रति निजी विद्यालयों के शहरी प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण से सम्बन्धित है। तालिका 2 का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि कुल शहरी प्रबन्धकों में से 64 प्रतिशत प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के प्रति सकारात्मक स्तर का प्रत्यक्षीकरण दर्शाया है जबकि शेष सभी 36 प्रतिशत प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के प्रति नकारात्मक प्रत्यक्षीकरण दर्शाया है। अर्थात् लगभग दो तिहाई शहरी प्रबन्धकों ने सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण व्यक्त किया है जोकि नकारात्मक प्रत्यक्षीकरण व्यक्त करने वाले प्रबन्धकों की तुलना में सार्थक रूप से उच्च है। अतः परिकल्पना 2 'निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक है' स्वीकृत होती है। अर्थात् अजमेर जिले में स्थित शहरी निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों का शुल्क निर्धारण के प्रति सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण है।

शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण

निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण विद्यालय प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करने के लिए शोध परिकल्पना 3 'निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक है' का निर्माण किया गया है। इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए स्वनिर्मित शुल्क निर्धारण के प्रति प्रबन्धक प्रत्यक्षीकरण अनुसूची की सहायता से प्रदत्त संकलित किये हैं। संकलित प्रदत्तों के आधार पर प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण को दो स्तरों–सकारात्मक तथा नकारात्मक में वर्गीकृत किया है। इस प्रकार प्राप्त प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण अग्रांकित तालिका 3 में किया गया है।

तालिका 3
शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण विद्यालयीन प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण

क्र.सं.	प्रत्यक्षीकरण स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सकारात्मक	15	60
2	नकारात्मक	10	40
योग		**25**	**100**

वृत चित्र 3
शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण विद्यालयीन प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण

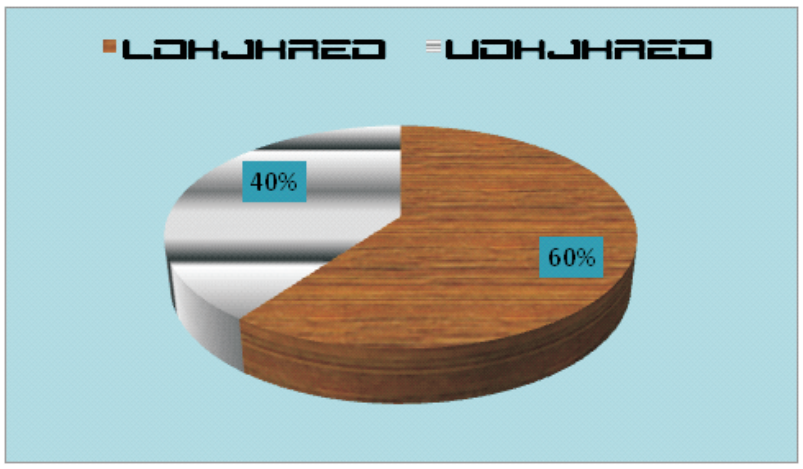

उपर्युक्त तालिका 3 एवं वृत चित्र 3 शुल्क निर्धारण के प्रति निजी विद्यालयों के ग्रामीण प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण से सम्बन्धित है। तालिका 3 का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि कुल ग्रामीण प्रबन्धकों में से 60 प्रतिशत प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के प्रति सकारात्मक स्तर का प्रत्यक्षीकरण दर्शाया है जबकि शेष सभी 40 प्रतिशत प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के प्रति नकारात्मक प्रत्यक्षीकरण दर्शाया है। अर्थात् लगभग दो तिहाई ग्रामीण प्रबन्धकों ने सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण व्यक्त किया है जो कि नकारात्मक प्रत्यक्षीकरण व्यक्त करने वाले प्रबन्धकों की तुलना में सार्थक रूप से उच्च है। अतः परिकल्पना 3 'निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक है' स्वीकृत होती है। अर्थात् अजमेर जिले में स्थित ग्रामीण निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों का शुल्क निर्धारण के प्रति सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण है।

शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण की तुलना

निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति विद्यालय प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करने के लिए शोध परिकल्पना 4 'निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण में सार्थक अन्तर है' के लिए शून्य परिकल्पना 'निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण में सार्थक अन्तर नहीं है' का निर्माण किया गया है। इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए ग्रामीण एवं शहरी प्रबन्धकों द्वारा विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति व्यक्त प्रत्यक्षीकरण के मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता का परीक्षण करने के लिए टी–मान का परिकलन किया गया है

तालिका 4
शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयीन प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण की तुलना

क्र.सं.	प्रबन्धक	संख्या ;छद्ध	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	परिकलित टी–मान
1	ग्रामीण	25	24.08	2.59	.648	1.17
2	शहरी	25	23.32	1.84		

दण्ड चित्र 4
शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयीन प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण की तुलना

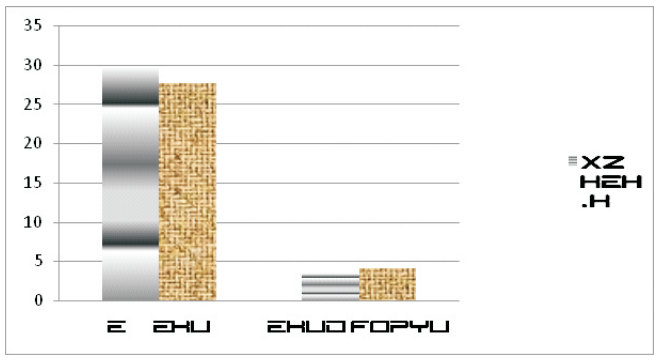

उपर्युक्त तालिका 4 एवं दण्ड चित्र 4 शुल्क निर्धारण के प्रति निजी विद्यालयों के ग्रामीण एवं शहरी प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण से सम्बन्धित है। इस तालिका से स्पष्ट है कि शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण का मध्यमान क्रमशः 24.08 एवं 23.32 तथा मानक विचलन क्रमशः 2.59 एवं 1.84 है। मानक त्रुटि का मान .648 तथा 'टी' का परिकलित मान 1.17 है। अतः 'टी' का परिकलित मान तालिका मान से कम है। इसलिए शून्य परिकल्पना 'निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण में सार्थक अन्तर नहीं है' स्वीकृत होती है एवं 'निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण में सार्थक अन्तर है' अस्वीकृत होती है। अर्थात् अजमेर जिले में स्थित निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित विद्यालयीन प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक अन्तर नहीं है। साथ ही दोनों मध्यमानों का अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का मध्यमान तुलनात्मक रूप से शहरी प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण के मध्यमान से उच्च है।

निष्कर्ष एवं विवेचना

प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया है कि अजमेर जिले में स्थित निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों का शुल्क निर्धारण के प्रति सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण है। निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति प्रबन्धकों द्वारा प्रत्यक्षीकरण अनुसूची पर दी गयी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने पर यह भी पता चलता है कि प्रबन्धकों में से दो तिहाई के लगभग प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के प्रभाव, योजना के क्रियान्वयन व आवश्यकता जैसे आधारों पर सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण दर्शाया है, जबकि लगभग एक तिहाई से अधिक प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के प्रभाव, योजना के क्रियान्वयन व आवश्यकता के सम्बन्ध में नकारात्मक प्रत्यक्षीकरण प्रकट किया है।

अजमेर जिले में स्थित शहरी निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों का शुल्क निर्धारण के प्रति सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण है। निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति शहरी निजी विद्यालयों प्रबन्धकों द्वारा प्रत्यक्षीकरण अनुसूची पर दी गयी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने पर यह भी पता चलता है कि शहरी प्रबन्धकों में से दो तिहाई के लगभग प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के प्रभाव, योजना के क्रियान्वयन व आवश्यकता जैसे आधारों पर सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण दर्शाया है, जबकि लगभग एक तिहाई प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के प्रभाव, योजना के क्रियान्वयन व आवश्यकता के सम्बन्ध में नकारात्मक प्रत्यक्षीकरण प्रकट किया है।

अजमेर जिले में स्थित ग्रामीण निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों का शुल्क निर्धारण के प्रति सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण है। निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण निजी विद्यालयों प्रबन्धकों द्वारा प्रत्यक्षीकरण अनुसूची पर दी गयी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने पर यह भी पता चलता है कि ग्रामीण प्रबन्धकों में से दो तिहाई के लगभग प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के प्रभाव, योजना के क्रियान्वयन व आवश्यकता जैसे आधारों पर सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण दर्शाया है, जबकि लगभग एक तिहाई प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के प्रभाव, योजना के क्रियान्वयन व आवश्यकता के सम्बन्ध में नकारात्मक प्रत्यक्षीकरण प्रकट किया है।

निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण में सार्थक अन्तर नहीं है। हालांकि ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय दोनों प्रकार के प्रबन्धकों मध्यमानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि शुल्क निर्धारण के प्रति ग्रामीण प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण का मध्यमान तुलनात्मक रूप से शहरी प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण के मध्यमान से उच्च है। शुल्क निर्धारण योजना के प्रति ग्रामीण एवं शहरी प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण में भले ही सार्थक अन्तर नहीं हो फिर भी प्रदत्तों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनियम के प्रति प्रभाव, क्रियान्वयन व आवश्यकता के आधार पर प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल एक समान नहीं हैं। शहरी विद्यालय के प्रबन्धकों ने शुल्क निर्धारण के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव जैसे आधारों पर ग्रामीण की तुलना

में अधिक सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण दर्शाया है।

शैक्षिक निहितार्थ

निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण अधिनियम के प्रति प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार हैं–

1.प्रस्तुत अध्ययन में निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण अधिनियम के प्रति 64 प्रतिशत प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के प्रति एक तिहाई से अधिक प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक है जबकि 36 प्रतिशत प्रबन्धकों का प्रत्यक्षीकरण नकारात्मक है जो यह दर्शाता है कि ये प्रबन्धक शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को ठीक नहीं मानते हैं। इनके नकारात्मक सोच रखने के कारणों का पता लगाया जाये व पता लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाये व यदि इससे विद्यालयों पर आर्थिक भार बढ़ता है तो उनके आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा उनकी सहायता की जाये ताकि वे अपने विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रख सकें।

2.प्रस्तुत अध्ययन में निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण अधिनियम 2013 के प्रति विद्यालय प्रबन्धकों के प्रत्यक्षीकरण में नकारात्मक सोच के कारणों में यदि प्रचार–प्रसार, या क्षेत्र की समस्या हो तो उसके निदान के लिए कार्य करना चाहिए ताकि प्रबन्धकों को किसी भी प्रकार योजना व आर्थिक रूप की समस्या का सामना न करना पड़े व उन्हें किसी प्रकार का कोई आर्थिक भार न हो व विद्यालय का संचालन में दिक्कतें न हों।

3.ग्रामीण एवं शहरी प्रबन्धकों के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि क्षेत्र के आधार दोनों क्षेत्र के लोगों में शुल्क निर्धारण की योजना के प्रति सकारात्मक एवं उच्च स्तर का प्रत्यक्षीकरण है। अतः यह सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण इस योजना के प्रति रूझान को प्रदर्शित करता है। अतः सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत निजी विद्यालयों द्वारा किसी प्रकार का अन्य कोई मद के अन्तर्गत छात्रों से शुल्क न लिया जाये।

4.ग्रामीण एवं शहरी प्रबन्धकों के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्र के आधार इस अधिनियम के प्रति उच्च जागरूकता है। अतः योजना का क्रियान्वयन इस प्रकार होना चाहिए कि इसके अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के प्रशासन व प्रबन्धन में कोई कमी न आये।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में अजमेर जिले के चयनित विद्यालयों के 50 प्रबन्धकों को लेकर यह अध्ययन किया गया है। अतः यह अध्ययन अपेक्षाकृत बड़े न्यादर्श को लेकर भी किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित प्रत्यक्षीकरण अनुसूची के आधार पर प्रदत्तों को एकत्र किया गया। अतः अनुसूची के अलावा किसी और उपकरण या प्रविधि का प्रयोग करके भी अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1)अग्रवाल, जे.सी. (2008), भारतीय शिक्षा समिति स्वरूप एवं समस्यायें, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली.

2)दैनिक भास्कर (2014), "अमीर स्कूलों में पढ़ेंगे गरीब बच्चे" अजमेर संस्करण, 13 अगस्त 2014, पृ.सं. 3.

3)गुप्ता, एस.पी (2001), सांख्यिकीय विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

4द्धगुप्ता, मंजु (2008), भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, के.एस.के पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली.

5द्धकोठारी सी. आर. (2010), रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथ्ड्स एण्ड टेक्नीक्स (सेकेण्ड रीवाइज्ड एडीशन) न्यू एज इन्टरनेशनल पब्लिशर्स, न्यू देहली)

6)मिश्रा, रश्मि (2011), "निजी विद्यालयों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों का प्रत्यक्षीकरण", लघु शोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, राज.

7)पचौरी गिरीश (1992), शिक्षा के दार्शनिक आधार, आर.लाल. बुक डिपो, मेरठ.

8)राजस्थान पत्रिका (2015), 562 स्कूलों ने बताई फीस, जयपुर संस्करण, 17 जनवरी 2015 पृ.सं. 5.

9)रायजादा, बी.एस. (2010), शिक्षा में अनुसंधान के मूल आधार, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.

10)सारस्वत, मालती एवं गौतम, एस. एल. (2006), भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामायिक समस्यायें, आलोक प्रकाशन इलाहाबाद.

सुजाता शमा

[2]एम.एड. छात्रा, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org